*भारतीय अर्थव्यवस्था निर्णायक मोड़ पर: वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से विवेचन**

शक्तिकांत दास

आप सभी को नमस्कार। प्रमुख वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं भारतीय स्टेट बैंक का आभारी हूँ। इस वर्च्युअल सम्मेलन के आयोजकों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। वर्च्युअल सम्मेलन अब एक सामान्य बात बन गई है। कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव के विरुद्ध देश के प्रतिकार में आज बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं सबसे आगे हैं। रिज़र्व बैंक के मौद्रिक, नियामक और अन्य नीतिगत उपायों के वे प्रसारण चैनल हैं। वे सरकार द्वारा घोषित वित्तीय अवलंब उपायों (बैकस्टॉप मेज़र्स) के कार्यान्वयन का माध्यम भी हैं।

पिछले 100 वर्षों में कोविड-19 महामारी का प्रकोप,सबसे भयावह स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है जिसके कारण उत्पादन, रोजगार और स्वास्थ्य पर अप्रत्याशित नकारात्मक परिणाम हुए हैं। इसने मौजूदा विश्व व्यवस्था, वैश्विक मूल्य श्रृंखला, विश्व में श्रम और पूंजी की आवाजाही तथा विश्व जनसंख्या के बड़े वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है।

कोविड-19 महामारी, हमारी आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की मजबूती और पुनरुत्थानशीलता की अब तक की शायद सबसे बड़ी परीक्षा है।आज हम जिन असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनमें केंद्रीय बैंकों की भूमिका के संबंध में इतिहास हमें कुछ उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता (एलओएलआर) की भूमिका देने वाले बागहॉट के सिद्धांत[1] से सीख लेते हुए हमारी वित्तीय प्रणाली की रक्षा और मौजूदा संकट में वास्तविक अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपाय किए हैं। हमारे नीतिगत प्रतिसादों की अंतिम सफलता जहाँ कुछ समय बाद ही पता चलेगी, वहीं अब तक वे प्रभावी प्रतीत होते हैं। अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाल लाने के इरादे और समर्पण को दोहराते हुए, मैं अपने नीतिगत उपायों के कुछ प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

I. मौद्रिक नीति उपाय

कोविड-19 के प्रकोप से पहले ही, फरवरी 2019 में और महामारी की शुरुआत के बीच रेपो दर में 135 आधार अंकों की संचयी कटौती के साथ, मौद्रिक नीति ने उदार रुख अपनाया था। मौद्रिक नीति के रुख में इस विशेष बदलाव का प्रमुख तर्काधार मंदी को विकास की गति में परिवर्तित करना था, जबकि बेमौसम बारिश के चलते 2019-20 की दूसरी छमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में अल्पकालिक उछाल आया था। इस नीतिगत रुख के अनुरूप, जून 2019 से ही चलनिधि की स्थिति को भी पर्याप्त अधिशेष में रखा गया था। इन उपायों के विलंबित प्रभाव आर्थिक गतिविधियों में एक चक्रीय परिवर्तनों की शुरुआत करने ही वाले थे कि कोविड-19 की विनाशकारी आपदा ने, लोगों के जीवन और आजीविका दोनों को ही खतरे में डाल दिया।

कोविड वक्र की स्थिति के बारे में अनिश्चितता को देखते हुए, उभरते हुए आर्थिक जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना तथा नीति उपायों की एक व्यापक रेंज का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर अग्रसक्रिय मौद्रिक नीति कार्रवाई करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण था ताकि नीतिगत कदमों का असर हो। तेजी से बदलते समष्टि आर्थिक वातावरण और वृद्धि के बिगड़ते परिदृश्य के कारण मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की ऑफ-साइकिल बैठकों की आवश्यकता पड़ी - पहले मार्च में और फिर मई 2020 में। एमपीसी ने इन दोनों बैठकों में नीति रेपो रेट में 115 आधार अंकों की कटौती करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2019 के बाद से कुल नीतिगत दर में 250 आधार अंकों की कमी आई है।

---

* भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 11 जुलाई 2020 को आयोजित 7वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास का संबोधन।

[1] वाल्टर बागहॉट (1873), लोम्बार्ड स्ट्रीट: ए डिस्क्रिपशन ऑफ़ मनी मार्केट (न्यूयॉर्क: चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स)

चलनिधि उपाय

रिज़र्व बैंक द्वारा, बाजार विश्वास बहाल करने, चलनिधि दबाव को समाप्त करने, वित्तीय स्थितियों को सहज बनाने, ऋण बाजारों से नियंत्रण हटाने और उत्पादक प्रयोजनों की आवश्यकता वाले लोगों के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से पारंपरिक और गैरपारंपरिक मौद्रिक नीति और चलनिधि उपाय किए गए हैं। इसका व्यापक उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए वृद्धि की जोखिमों को कम करना था । रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2020 से घोषित चलनिधि उपाय लगभग ₹9.57 लाख करोड़ (2019-20 के अभिहित (नॉमिनल) जीडीपी के लगभग 4.7 प्रतिशत के बराबर) हैं।

II. वित्तीय स्थिरता और विकासात्मक उपाय

रिज़र्व बैंक की विभिन्न नियामक और पर्यवेक्षी कदमों के कारण महामारी के प्रारंभ में देश की वित्तीय प्रणाली एक बहुत बेहतर स्थिति में थी। हमने ऋण अनुशासन को मजबूत करने और ऋण सकेंद्रण को कम करने के लिए कई उपायों को लागू करने के अलावा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया था। वर्ष 2015-16 और 2019-20 के बीच पाँच वर्षों के लिए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कुल ₹3.08 लाख करोड़ रुपये लगाए थे। रिज़र्व बैंक और सरकार दोनों के प्रयासों के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों में गिरावट आई थी और पूंजी की स्थिति में सुधार हुआ था। उपलब्ध आँकड़ों (जिनमें से कुछ अनंतिम हैं) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का समग्र पूँजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2019 के 14.3 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2020 में 14.8 प्रतिशत था। पीएसबी के जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2019 के 12.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 में 13.0 प्रतिशत हो गया था। मार्च 2020 में एससीबी का सकल अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात और शुद्ध एनपीए अनुपात मार्च 2019 के क्रमशः 9.1 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत की तुलना में 8.3 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत था। प्रोविजन कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2019 के 60.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 में 65.4 प्रतिशत हो गया जो जोखिम अवशोषण क्षमता के संदर्भ में उच्च लचीलापन का संकेत देता है। वर्ष के दौरान एससीबी की लाभप्रदता में भी सुधार हुआ था।31 मार्च 2020 तक गैर बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का सकल और शुद्ध एनपीए 31 मार्च 2019 की स्थिति 6.1 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत की तुलना में से 6.4 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान उनका सीआरएआर 20.1 प्रतिशत से मामूली घटकर 19.6 प्रतिशत रह गया।

पर्यवेक्षी और विनियामकीय पहल

रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसी प्रणालियों और संरचनाओं को लागू करना रहा है जो वित्तीय संस्थाओं की कमजोरियों की पहचान, आकलन और सक्रिय रूप से प्रबंधन करे या इनमें कमी लाए। वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकने वाली घटनाओं के आकलन के आधार पर पिछले एक वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक समग्रात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने के उद्देश्य से अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कार्यों को पुनर्गठित किया है। एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य बैंकों और एनबीएफसी के बढ़ते आकार, जटिलताओं और अंतर-संबद्धता को देखना है। इसका उद्देश्य उन संभाव्य प्रणालीगत जोखिमों को भी प्रभावी ढंग से दूर करना है जो संभावित पर्यवेक्षी या विनियामक अंतरपणन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, जोखिम भरे संस्थाओं और प्रथाओं पर बेहतर ध्यान देने के लिए; पर्यवेक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकी की उचित रेंज का प्रयोग करने के लिए; और पर्यवेक्षित संस्थाओं में चिंता के चिह्नित क्षेत्रों पर क्षैतिज या विषयगत अध्ययन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नपी-तुली पद्धति तैयार की गई है जो पर्यवेक्षण कार्य में आवश्यक प्रतिरूपता (मॉड्यूलरिटी) और स्केलेबिलिटी दे। उभरते जोखिमों को पहचानने और समय पर कार्रवाई हेतु पर्यवेक्षित संस्थाओं की कमजोरियों का आकलन करने के लिए, नपी-तुली पर्यवेक्षी पद्धति की धुरी के रूप में रिज़र्व बैंक ने अपने ऑफ-साइट निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। व्यक्तिगत और तकनीकी दोनों आसूचना की सहायता से हम पर्यवेक्षी बाजार आसूचना क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं ।

रिज़र्व बैंक द्वारा कमजोर संस्थाओं की विशेष देखभाल से ऐसी संस्थाओं की अब बगैर हालचल गहरी निगरानी और सफल समाधान में सहायता मिलती है। यस बैंक का समय पर और सफल समाधान इसका उदाहरण है। सभी संभव विकल्प समाप्त होने के बाद और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जब बैंक की निवल मालियत पॉजिटीव थी, हमने उचित समय पर हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया था। यस बैंक पुनर्निर्माण योजना ने भारत की अग्रणी वित्तीय संस्थाओं के बीच एक अनूठी सार्वजनिक-निजी भागीदारी की। इसे बहुत ही कम समय में लागू किया गया था, जिससे बैंक के पुनरुद्धार में मदद मिली, बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की गई और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हुई। मैं भारतीय स्टेट बैंक को इस पहल का नेतृत्व करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के संबंध में, रिजर्व बैंक सभी हितधारकों के साथ एक व्यावहारिक समाधान खोज रहा है, चूँकि घाटा बहुत अधिक है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जमाराशि की हानि हुई है।

एनबीएफसी के मामले में, उभरते जोखिमों की पहचान तथा त्वरित कार्रवाई हेतु हितधारकों के साथ सक्रिय जुड़ाव उपयोगी रहा। उनके बढ़ते आकार और परस्पर जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के जोखिम प्रबंधन और चलनिधि प्रबंधन ढाँचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ₹5,000 करोड़ रुपये से अधिक के आकार वाले एनबीएफसी को एक कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त करने को कहा गया है जिनकी भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हों। साथ ही, सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक के ऑन-साइट निरीक्षण ढांचे और ऑफ-साइट निगरानी के तहत लाया गया है। 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन ने एनबीएफसी को बेहतर ढंग से विनियमित और पर्यवेक्षण करने की रिजर्व बैंक की क्षमता को मजबूत किया है। इसके अलावा, कुछ बड़े एनबीएफसी और कुछ खास समस्याओं से ग्रसित एनबीएफसी पर लगातार कड़ी नजर रखी जाती है।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के मामले में उनके संचालन में कमजोरियों की पहचान जल्दी करने के लिए जोखिम आधारित तथा सक्रिय पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कमजोर बैंकों की समय पर पहचान तथा उसपर उचित कार्रवाई के लिए एक दबाव-परीक्षण ढांचा युक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाई गई है। यूसीबी को चलनिधि, पूंजी, आईटी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने के लिए एक 'छत्र संगठन' के गठन को मंजूरी दी गई है। क्रेडिट सकेंद्रण को कम करने के लिए यूसीबी की एक्सपोजर सीमा को कम किया गया है तथा प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को काफी बढ़ाया गया है ताकि यूसीबी अपने मुख्य क्षेत्र-अर्थात, सूक्ष्म और छोटे उधारकर्ता पर केंद्रित रहें। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में हाल ही में किए गए संशोधनों से क्रमशः एनबीएफसी और यूसीबी की हमारी पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं में सहायता मिलेगी।

महामारी के संबंध में प्रतिसाद

महामारी के प्रतिसाद के रूप में, रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं जो पहले से ही लोग जानते हैं। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक इस पर भी ध्यान दे रहा था कि सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा कोविड-19 संबंधी आकस्मिक प्रतिसाद को तेजी से लागू किया जाए ताकि व्यवधानों को कम किया जा सके। तदनुसार, संकट की शुरुआत से ही, नीतिगत उपायों का उद्देश्य परिचालन संबंधी मुद्दों और विशेष रूप से, वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर की कारोबार निरंतरता और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना रहा। रिजर्व बैंक ने अपने कार्यों के लिए एक विस्तृत कारोबार निरंतरता योजना लागू की और साथ ही यह सुनिश्चित किया कि बैंक भी अपनी कारोबार निरंतरता योजनाएं लागू करें। 16 मार्च, 2020 को हमने सभी बैंकों को महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का जायजा लेने और अपने कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) को फिर से देखने को कहा। सभी संस्थाओं को यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी बैलेंस शीट, आस्ति गुणवत्ता और चलनिधि पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करें, और अपने जोखिमों के प्रबंधन हेतु तत्काल आकस्मिक उपाय करें।

चूंकि लॉक-डाउन ने हमारी ऑन-साइट पर्यवेक्षी जांच को एक हद तक बाधित किया है, हम अपने ऑफ-साइट निगरानी तंत्र को और विस्तार दे रहे हैं। ऑफ साइट निगरानी प्रणाली का उद्देश्य यदि कोई संकट हो तो उस 'संकट को भाँपना', तथा अग्रसक्रिय कार्रवाई शुरू कर पाना है। इसके लिए संभावित कमजोरियों पर बाजार आसूचनाओं के उपयोग और वित्तीय संस्थाओं के साथ सतत संपर्क की आवश्यकता है। ऑफ-साइट मूल्यांकन फ्रेमवर्क, जो मैक्रो और माइक्रो वेरिएबल्स को ध्यान में रखता है, अधिक विश्लेषणात्मक व भविष्योन्मुखी है और इसका उद्देश्य कमजोर क्षेत्रों, उधारकर्ताओं और साथ ही पर्यवेक्षित संस्थाओं की पहचान करना है।

रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए बहुआयामी दृष्टिकोण ने जहाँ बैंकों को महामारी के तत्काल प्रभाव से दूर रखा है, वहीं मध्यावधि परिदृश्य अनिश्चित है और कोविड-19 की दिशा पर निर्भर करता है। मध्यावधि नीतिगत कार्रवाई के लिए एक सजग आकलन की आवश्यकता होगी कि संकट कैसे फैल रहा है। बफर का निर्माण और पूंजी जुटाना केवल ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं बल्कि वित्तीय प्रणाली में सृदृढ़ता निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हमने हाल ही में (19 जून और 1 जुलाई, 2020) सभी बैंकों, जमाराशि स्वीकार न करने वाले एनबीएफसी (₹5,000 करोड़ रुपये की आस्ति आकार वाली) और सभी जमा राशि स्वीकार करने वाले एनबीएफसी को कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपनी बैलेंस शीट, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करें। इस तरह के दबाव परीक्षण के परिणाम के आधार पर, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को हानि कम करने के संभावित उपाय तैयार करने को कहा गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूँजी योजना, पूँजी जुटाने और आकस्मिक चलनिधि योजना शामिल हो। उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जाए।

III. प्रमुख चुनौतियां

भविष्य की बात करें तो, वित्तीय प्रणाली में कुछेक बिंदुओं पर दबाव रहेगा जिनकी ओर विनियामकीय और नीतिगत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी ताकि जोखिम को कम किया जा सके। इस वैश्विक महामारी के आर्थिक कुप्रभाव – लॉकडाउन और लॉकडाउन के पश्चात आर्थिक संवृद्धि में अनुमानित गिरावट – के परिणामस्वरूप अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) बढ़ सकती हैं और बैंकों की पूंजी का क्षरण संभव है। इसलिए, पीएसबी और निजी बैंकों (पीवीबी) के पुन: पूंजीकरण की योजना तैयार करना आवश्यक हो गया है। हालांकि, समग्र एनबीएफसी क्षेत्र तो फिर भी मजबूत दिख सकता है, लेकिन एनबीएफसी और म्यूचुअल फंडों पर पड़ने वाले मोचन दबाव पर करीब से नज़र रखने की आवश्यकता है। म्यूचुअल फंड एनबीएफसी द्वारा जारी किए जाने वाले बाजार लिखतों में सबसे बड़े निवेशक के तौर पर उभरे हैं और इसी वजह से एक प्रतिकूल फीडबैक लूप विकसित हो गया है जिससे जुड़े प्रणालीगत जोखिम से निपटने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। बैंक उधार में एनबीएफसी की बढ़ती हिस्सेदारी और एनबीएफसी तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के सम्मुख बाजार आधारित उधार की उपलब्धता की निरंतर बनी हुई समस्या पर भी सावधानीपूर्वक नज़र रखने की भी आवश्यकता है।

वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड- 19 महामारी ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है कि वित्तीय प्रणाली के सम्मुख अनुगामी जोखिम शायद ही कभी मूर्त रूप लेंगे। जोखिम की घटनाओं की प्रायिकता का वितरण दर्शाता है कि अनुगामी जोखिमों को दर्शाने वाला हिस्सा जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा समतल है। वित्तीय प्रणाली को लगने वाले झटके बढ़े हैं क्योंकि पूरे जीवनकाल में एकाध बार होने वाली घटनाओं की आवृत्ति एक दशक के अंतराल पर घटित होने वाली घटनाओं से भी ज्यादा हो गयी है। तदनुसार, बैंकों की न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं, जिनका आकलन बीते वर्षों में हुई नुकसान की घटनाओं के आधार पर किया जाता है, अब वित्तीय नुकसान को सहन कर सकने में पर्याप्त नहीं मानी जा सकतीं। न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है, लेकिन यह वित्तीय स्थिरता की गारंटी नहीं है। इसलिए, यह अत्यावश्यक हो गया है कि जोखिम की घटनाओं की बढ़ी हुई बारंबारता, उनकी विविधता और उनके अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव को देखते हुए बैंकों में जोखिम प्रबंधन का दृष्टिकोण उसी के अनुरूप विकसित किया जाए। बैंकों को वह पुरानी कहावत याद रखनी होगी कि सावधानी और परिश्रम से ही भाग्य का निर्माण होता है। ऑस्कर वाइल्ड को उद्धृत करते हुए कह सकते हैं कि बिना किसी तैयारी के खतरा झेलना पड़े तो इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा, परंतु अगर हम अनजान बने रहकर एक से ज्यादा बार किसी जोखिम में पड़ते हैं तो इसे लापरवाही कहा जाएगा।[2]

[2] मूल उद्धरण ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखे गए इमपॉरटेंस ऑफ बिइंग एरनेस्ट नामक नाटक से है।

पहले से ही उठाए गए कई कदमों के बावजूद, मध्यम से दीर्घावधि में उभरने वाले अनेक मुद्दों का समाधान तलाशने की दिशा में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। ये मुद्दे एनबीएफसी और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि बैंकों के लिए। रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी दृष्टिकोण जोखिमों की पहचान करने, मापने और उन्हें कम करने के लिए वित्तीय संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। नया पर्यवेक्षी दृष्टिकोण दो-आयामी होगा - पहला, पर्यवेक्षणाधीन संस्थाओं की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना; और दूसरा, आरंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।

आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, अब अधिक जोर कमजोरियों के कारणों पर दिया जा रहा है न कि लक्षणों पर। कमजोर बैंकों के लक्षण आमतौर पर खराब आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता में कमी, पूंजी में क्षरण, अत्यधिक कर्जभार, अत्यधिक जोखिमपूर्ण ऋण, खराब आचरण और चलनिधि से जुड़ी चिंताएं हैं। ये विभिन्न लक्षण अक्सर एक साथ उभरते हैं। वित्तीय संस्थानों में आने वाली कमजोरी का कारण आमतौर पर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक या अधिक हो सकती है: वर्तमान व्यापारिक वातावरण को देखते हुए अनुपयुक्त व्यापार मॉडल; लचर या अनुचित अभिशासन और विश्वास कायम करने से जुड़े कार्यों; वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा खराब निर्णय; और बाह्य हितधारकों के हितों के साथ आंतरिक प्रोत्साहन संरचनाओं का अनुचित तालमेल।[3]

हम कारोबारी मॉडल के मूल्यांकन, अभिशासन और विश्वास कायम करने से जुड़े कार्यों (अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों) के मूल्यांकन पर विशेष जोर दे रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं बढ़ी हैं। पर्यवेक्षण संस्थाएं आमतौर पर व्यावसायिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अभिशासन से जुड़े पहलुओं और विश्वास बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्यों की अनदेखी ही क्यों न करनी पड़े। उनके द्वारा तैयार की गयी कारोबारी रणनीति और उनके वास्तविक व्यापार संचालन के बीच स्पष्ट रूप से कोई संबंध नहीं था। इसलिए इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जोर इस बात पर डाला जा रहा है कि वित्तीय संस्थानों में जोखिम, अनुपालन और अभिशासन की संस्कृति में सुधार किया जाए। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने घरेलू वित्तीय प्रणाली की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मौजूदा विनियामक ढांचे का तालमेल बनाने के उद्देश्य से 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' विषय पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। इस चर्चा पत्र में अधिक बल प्रबंधन से स्वामित्व को अलग करने को प्रोत्साहित करने पर दिया गया है – स्वामी जहाँ मुख्य रूप से अपने निवेश पर होने वाले लाभ पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वहीं प्रबंधन को सभी हितधारकों के हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होता है। बोर्ड को अपना दायित्व निभाते हुए, संगठन की संस्कृति और मूल्यों को निर्धारित करना चाहिए; हितों के टकराव की पहचान और उसका प्रबंधन करना चाहिए; जोखिम उठाने की सीमा तय करनी चाहिए और उस सीमा के भीतर ही जोखिमों का प्रबंधन करना चाहिए; वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र की निगरानी करनी चाहिए और विविध प्रकार के हस्तक्षेपों के माध्यम से इस निगरानी और विश्वास बहाली को मजबूत करते रहना चाहिए। रिज़र्व बैंक यथासमय सुशासन के इन सिद्धांतों को एनबीएफसी क्षेत्र तक भी ले जाएगा।

IV. भावी दिशा

हमारे दैनिक जीवन में महामारी के बड़े प्रभाव के बावजूद, सभी भुगतान प्रणाली व वित्तीय बाजारों सहित देश की वित्तीय प्रणाली, बिना किसी बाधा के काम कर रही है। प्रतिबंधों में क्रमश: ढील लाने के प्रतिसाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामान्य स्थिति में वापस आने के संकेत दिखने लगे हैं। हालांकि, यह अभी भी अनिश्चित है कि आपूर्ति श्रृंखला कब तक पूरी तरह बहाल हो पाएगी; मांग की स्थिति को सामान्य होने में कितना समय लगेगा; और हमारी संभावित वृद्धि पर महामारी किस तरह के स्थायी प्रभाव छोड़ जाएगी । सरकार द्वारा पहले से घोषित लक्ष्योन्मुखी और व्यापक सुधार उपायों से देश की संभावित वृद्धि में सहायता मिलनी चाहिए। संभवत: कोविड के बाद एक बेहद अलग वैश्विक

[3] बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (जुलाई 2015): कमजोर बैंकों की पहचान और उनके समाधान संबधी दिशा निर्देश ।

वातावरण में, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों का पुनर्आबंटन और आर्थिक गतिविधियों के अभिनव विस्तार से कुछ पुनर्संतुलन और नए विकास कारकों का उद्भव हो। नीतिगत उपाय, यानी मौद्रिक, राजकोषीय, विनियामक और संरचनात्मक सुधार, अल्पावधि व्यवधानों को कम करते हुए आर्थिक गतिविधि में तेजी से सुधार लायक स्थिति प्रदान कर रहे हैं।

विश्वास की बहाली, वित्तीय स्थिरता का संरक्षण, वृद्धि को पुनर्जीवन और मजबूत समुत्थान समय की मांग है। केंद्रीय बैंक में, हम वित्तीय स्थिरता के संरक्षण, बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ रखने तथा आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कोविड-19 पर काबू पाने के बाद, प्रति-चक्रीय विनियामक उपायों को सुव्यवस्थित रूप से सावधानीपूर्वक हटाया जाना है और विनियामक छूट पर नए ढर्रे के रूप में निर्भर हुए बिना वित्तीय क्षेत्र को सामान्य कामकाज पर लौटना है। रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता जोखिमों के बदलते स्वरूप का निरंतर आकलन कर रहा है तथा वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए अपने पर्यवेक्षी ढांचे को अपग्रेड कर रहा है। बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों को हमेशा सतर्क रहना होगा तथा अभिशासन, आश्वासन कार्यों और जोखिम संस्कृति के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को काफी अपग्रेड करना होगा।

यह सच है कि महामारी एक विशाल चुनौती है; हालांकि, सामूहिक प्रयासों, बुद्धिमान चयन और नवाचार के रूप में मनुष्य की धीरता से हमें वर्तमान संकट से बाहर आने में काफी सहायता मिलेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, "... भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं "। मैंने इस अभूतपूर्व स्थिति का मुकाबला करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वर्तमान में लिए गए निर्णयों का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में ये उपाय सरकार के कदमों के पूरक होंगे। हजारों लोगों के अथक प्रयासों और अपने देश के आम आदमी के अदम्य साहस के साथ मैं आशा करता हूँ कि इन नीतिगत कार्रवाइयों से वांछित परिणाम मिलेंगे। परीक्षा का यही समय हमारी अर्थव्यवस्था की पुनरुत्थानशीलता पर दुनिया के विश्वास को मजबूत करेगा। हम साथ मिलकर इसे सिद्ध करेंगे।

धन्यवाद।